



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2931]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 17, 2017/आश्विन 25, 1939

No. 2931]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 17, 2017/ASVINA 25, 1939

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2017

का.आ. 3348(अ).—यतः दिल्ली की मुख्य योजना-2021 में केन्द्र सरकार का अपनी मुख्य योजना संशोधन के भाग के रूप में जिन कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 01.03.2017 के का.आ. 672(अ) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा(3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधनों के सम्बन्ध में तीस दिन की निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई आपत्तियां / सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः जाँच और सुनवाई बोर्ड की बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

3. यतः केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली की मुख्य योजना-2021 में संशोधित करने का निर्णय लिया है।

4. अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है :

संशोधन:

दिल्ली मुख्य योजना-2021						
अध्याय 17.0 विकास नियंत्रण						
उप /खंड 8(2) उपयोग जोनों में उपयोग परिसरों की अनुमति						
संबंधित उपयोग जोनों में निम्नलिखित उपयोग परिसरों को जोड़ा / संशोधित किया जाएगा						
क्र.सं.	उपयोग परिसर	उपयोग जोन				
		आर डी	सी1	सी2	एम	पीएस
आर डी	आवासीय					
Vii	बहुउद्देशीय समाज सदन/ बारात घर	पी	पी	एनपी	एनपी पी	पी
Xi	राज्य भवन/ राज्य अतिथि गृह	पी	पी	पी	पी	पी
जी	सरकारी					
iii	सरकारी कार्यालय (केन्द्र / राज्य सरकार / स्थानीय निकाय)	एनपी	पी	पी	पी	पी
iv	जिला न्यायालय / फैमिलि कोर्ट	एनपी	पी	पी	पी	पी

[फा. सं. के-12011/3/2017-डीडी-I]

आर. सी. मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2017

S.O. 3348(E).—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 as part of its Master Plan Modification which were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice *vide* S.O. 672(E) dated 01.03.2017 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions, as required by sub-section(3) of section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas, no objections/ suggestions were received with regard to the proposed modifications within the stipulated time period of thirty days. Therefore, Board of Enquiry and Hearing meeting was not held.

3. Whereas, the Central Government has, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATIONS:

Master Plan for Delhi-2021						
Chapter 17.0 Development Controls						
Sub/ Clause 8(2) Permission of Use Premises in Use Zones						
Following use premises to be added/ modified in respective use zones:						
Sl. No.	Use Premises	Use Zones				
		RD	C ₁	C ₂	M	PS
RD	RESIDENTIAL					
viii	Multipurpose Community Hall / Barat Ghar	P	P	NP	NP P	P
xi	State Bhawan/ State Guest Houses	P	P	P	P	P
G	GOVERNMENT					
iii	Government Offices (Central / State Government / Local Bodies)	NP	P	P	P	P
iv	District Court/ Family Courts	NP	P	P	P	P

[F. No. K-12011/3/2017-DD.I]

R. C. MEENA, Under Secy.